

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(3)नविवि/II/2021पार्ट

जयपुर, दिनांक

13 MAY 2022

:- आदेश :-

प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित अभियन्ताओं का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम                              | कहां से                  | कहां को   | विशेष विवरण                             |
|---------|---|--------------------------|---|---|
| 1       | 2   | 3                        | 4   | 5                                       |
| 1       | श्री संदीप गुप्ता,<br>अधिकाारी अभियन्ता     | जविप्रा,जयपुर            | जविप्रा,जयपुर<br>(पदोन्नति उपरान्त अधिकाारी<br>अभियन्ता के पद पर)         | श्री नरेन्द्र<br>अग्रवाल के<br>स्थान पर |
| 2       | श्री नरेन्द्र अग्रवाल,<br>अधिकाारी अभियन्ता | जविप्रा,जयपुर            | रूडसिको, जयपुर<br>(अधिकाारी अभियन्ता के पद<br>पर)                         |   |
| 3       | श्री विनीत कुमार नंगाव<br>अधिकाारी अभियन्ता | बीडा, भिवाडी             | नगर विकास न्यास, अलवर   |   |
| 4       | श्री अशोक कुमार मदान<br>अधिकाारी अभियन्ता   | नगर विकास<br>न्यास, अलवर | बीडा, भिवाडी, (पदोन्नति<br>उपरान्त अधिकाारी अभियन्ता<br>के पद पर)         |   |
| 5       | श्री योगेन्द्र कुमार<br>अधिकाारी अभियन्ता   | नगर विकास<br>न्यास, अलवर | नगर विकास न्यास, अलवर<br>(पदोन्नति उपरान्त अधिकाारी<br>अभियन्ता के पद पर) |   |

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अवधेश सिंह)

शासन संयुक्त सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप-1) विभाग
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, बीडा, भिवाडी।
9. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव-तृतीय